दिनांक 01.06.2015 (प्रथम सोमवार) को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित विडियो कॉनफ्रेंसिंग की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
2. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम।
4. निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।
5. **संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।**
6. **संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।**

सर्वप्रथम धान अधिप्राप्ति के अंतिम प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार 05.00 लाख मे0टन धान पैक्स के पास अधिप्राप्ति संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। कतिपय जिलों में जिला पदाधिकारियों ने द्वितीय सत्यापन कराया है। बिहार राज्य खाद्य निगम के मुख्यालय टीम के द्वारा भी सत्यापन पूर्वी चम्पारण जिले में कराया गया है। प्रतिवेदन में discrepancies आ रही है। द्वितीय सत्यापन में पूर्वी चम्पारण में 47 प्रतिशत कम धान पाया गया है एवं धान की गुणवत्ता भी घटिया किस्म की पाई गई है। ऐसे में पूर्व में जिन पदाधिकारियों ने जाँच में गलती की है, वैसे पदाधिकारियों के विरूद्ध निलंबन/विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगर आवश्यक हो तो फौजदारी मुकदमा भी किया जाए। औरंगाबाद जिले में भी दूसरे सत्यापन के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन में धान अधिप्राप्ति के प्रतिवेदन में मात्रा की कमी आई है। मुख्य सचिव ने निदेशित किया कि दिनांक 05 जून 2015 तक धान अधिप्राप्ति का अंतिम प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार द्वितीय सत्यापन कराकर निश्चित रूप से भेज दें अन्यथा पूर्व में भेजे गए प्रतिवेदन को ही अंतिम प्रतिवेदन मानकर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

2 मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि जिलो में 434 करोड़ रूपया निगम द्वारा पैक्सों को भुगतान हेतु राशि पड़ी हुई है, उक्त राशि का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाय। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, नवादा, वैशाली, औरंगाबाद सहित कई जिलों में बड़ी राशि पड़ी हुई है, दिनांक 04.06.2015 तक इसका वितरण सुनिश्चित करें।

3. सी0एम0आर0 की प्राप्ति पर मुख्य सचिव महोदय ने संतोष व्यक्त किया। उन्होनें बताया कि हॉलाकि 63 प्रतिशत सी0एम0आर0 प्राप्त हो चुका है, परन्तु वैसे जिले जहॉ सी0एम0आर0 प्राप्ति का प्रतिशत कम है, वहॉ शीघ्र धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति में तेजी लाई जाय। गया, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, लक्खीसराय, किशनगंज, इत्यादि के जिला पदाधिकारी द्वारा CMR भंडारण/ milling problem रेक की भी अनुपलब्धता की जानकारी दी गई। प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि समस्याओं का समाधान कराकर सी0एम0आर0 प्राप्ति में तेजी लायी जाय। प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम ने बताया कि 5 जून 2015 को सभी जिला प्रबंधकों की बैठक बुलायी गई है, उसमें मिलिंग के लिए बगल के जिलों से सम्बद्ध करने एवं अन्य उपायों पर निर्णय लिया जायेगा। समीक्षा के क्रम में कई जिलों से खराब सी0एम0आर0 प्राप्त होने की जानकारी मिली। इस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा भोजपुर एवं कैमूर में राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दोनों के एक–एक पदाधिकारी का दल बनाकर जॉच कराने का निदेश दिया।

4. ज0वि0प्र0 अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में भोजपुर, रोहतास, एवं वैशाली आदि कुछ जिलों में खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत बहुत कम होने की जानकारी मिली। खाद्यान्न वितरण के प्रतिशत में तेजी के लिए जून और जुलाई माह के खाद्यान्न का उठाव एक साथ कर लेने का भी सुझाव दिया गया। मुख्य सचिव ने निदेशित किया कि जिन जिलों में खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत कम है, वे शीघ्र तेजी लावें।

5. नालंदा जिला द्वारा बताया गया कि पूर्विकता प्राप्त लाभुकों से भी कम संख्या के लाभुकों का आवंटन प्राप्त हो रहा है। इस पर सचिव महोदय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि अन्य जिलों से भी ऐसी स्थिति की जानकारी है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार यह तभी संभव हो पायेगा जब सभी लाभुकों की सूची ऑन–लाईन रजिस्टर्ड कर दिया जायेगा।

6. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया कि जुलाई 2015 में राशन–किरासन का वितरण हर हाल में कूपन पर किया जाना है। इसलिए जिन जिलों में कूपन प्राप्त हो चुका है, वे कूपन वितरण का कार्य प्रारंभ कर दें। साथ ही कूपन प्राप्ति एवं वितरण का दैनिक प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

7. मुख्य सचिव महोदय ने BW/DW का वारंट जारी करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया। उन्होनें स्पष्ट किया कि वसूली में सख्ती जारी रहनी चाहिए। वारंट जारी करने के पश्चात ही कार्यान्वित कराने पर जोर दिया जा सकेगा। राशि वसूली के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है, इसलिए इस कार्य में कोताही बर्दास्त नही की जायेगी। सभी जिला पदाधिकारियों को मुख्य सचिव महोदय ने निदेश दिया कि वारंट निर्गत करने संबंधी प्रतिवेदन 5 जून 2015 को निश्चित रूप से भेजे। रिक्त ज0वि0प्र0 अंतर्गत अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई ससमय करने का निदेश भी मुख्य सचिव महोदय ने सभी जिला पदाधिकारियों को दिया।

सधन्यवाद विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही समाप्त की गयी।

8/6/15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक –प्र04/ख0वि0अधि0–04/2014 4490 खाद्य/पटना/दिनांक 09/06/15

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक (क्षेत्रीय), भारतीय खाद्य निगम, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव कोषाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2015

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।